



शेयरधारक शेयर/लाभांश से संबंधित जानकारी के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट एवं बैंक से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

<p>लिनक इनटाइम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (यूनित: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) पता: सी 101, दूतावास 247, एल.बी.एस.मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083 मुंबई दूरभाष संख्या 810 811 6767 टोल-फ्री नंबर : 1800 1020 878 ईमेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in वेबसाइट: www.linkintime.co.in</p>	<p>निवेशक संबंध विभाग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पता: केंद्रीय कार्यालय, 09वीं मंजिल, चंद्र मुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 फोन नंबर: 022 66387575 ईमेल आईडी: investors@centralbank.co.in investors@centralbank.co.in वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in</p>
---	--

9. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना:

जैसा कि आप जानते होंगे कि शेयरों का भौतिक रूप में कारोबार नहीं किया जा सकता है और शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करें. आप डीमैट सेवा प्रदान करने वाली निकटतम बैंक की शाखा में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमैट में परिवर्तित कर सकते हैं. डीमैट सेवाएँ प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है. डीमैट रूप में अपनी शेयरधारिता को परिवर्तित करने से कई लाभ जुड़े हैं जैसे नुकसान से बचना, खराब डिलीवरी, तेज़ निपटान, कागज़ रहित व्यापार आदि. इसके अलावा, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन और लेन-देन के अनुरोध के बारे में सूचनाएँ केवल एक ही स्थान पर दी जानी चाहिए, यानी उस शाखा में जहाँ आप अपना डीमैट खाता खोलते हैं, भले ही आपके पास एक से अधिक बैंक/संस्था के शेयर हों.

10. दावा न किया गया लाभांश, यदि कोई हो:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है और उसके बाद बैंक के संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा. जिन शेयरधारकों के अवैतनिक लाभांश IEPF में स्थानांतरित किए गए हैं, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म संख्या IEPF-5 में IEPF प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं.

11. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहीखाते

बुधवार दिन 10 जुलाई, 2024 से मंगलवार दिन, 16 जुलाई, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे.

12. मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा, संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को मतदान के संबंध में उसका एकमात्र धारक माना जाएगा. इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही एजीएम में भाग लेने का हकदार है) और एजेंडे पर वोट देने का अधिकार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से है, यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है.

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में मतदान के माध्यम से, यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है.

13. मतदान के लिए कट ऑफ / रिकॉर्ड तिथि:

1. बैंक के शेयरधारक जो कट ऑफ तिथि यानी **मंगलवार, 9 जुलाई, 2024** को भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, एजेंडा आइटम 1, 2, 3 और 5 पर मतदान के लिए पात्र होंगे.

और:

2. बैंक के शेयरधारक, जो कट-ऑफ तिथि यानी **शुक्रवार, 14 जून, 2024** को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखते हैं, एजेंडा आइटम 4 पर मतदान के लिए पात्र होंगे.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के तहत प्रतिबंधों के अधीन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक जो निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, बैंक के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में वोट देने के हकदार होंगे और उस तिथि तक उनके द्वारा रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार, निदेशक के चुनाव में भाग लेने की हकदार नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में एजीएम में भाग ले सकती है.

14. रिमोट ई-वोटिंग:

संशोधित सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44(1) के अनुपालन में, संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़ें और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर

9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुपालन में बैंक, मतदान के वैकल्पिक तरीके के रूप में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश करता है, जो सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाएगा. रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के लिए बैंक द्वारा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है.

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली मतदान सुविधा के तहत, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉ जिटरी/डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम की गई है. व्यक्तिगत डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता ("ईएसपी") के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डाल सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी, बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी और सुविधा भी होगी. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें.

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 15 जुलाई, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी. इसके बाद वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा.

डीमैट मोड/फिजिकल मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और लॉगिन विधि की प्रक्रिया और निर्देश नीचे दिए गए हैं:

➤ डीमैट मोड/फिजिकल मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन नीचे दिया गया है:-

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
लॉगिन विधि एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<ul style="list-style-type: none"> यदि शेयरधारक पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत है, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएँ. या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsdl.com ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "लाभार्थी स्वामी" आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीईएस' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नई स्क्रीन खुलेगी. शेयरधारक को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा. सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे. ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "ई-वोटिंग तक पहुँच" पर क्लिक करें और ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे. बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और शेयरधारक को रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा. यदि उपयोगकर्ता IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है. "आईडीईएसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ. निम्न URL https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर खोलें: . ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नई स्क्रीन खुलेगी. शेयरधारक को अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा. सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ वह ई-वोटिंग पेज देख सकता है. <p>क्लिक करें</p> <p>बैंक के नाम या लिंक इनटाइम के नाम पर क्लिक करने पर उसे रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in पर रीडायरेक्ट किया जाएगा.</p>



शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और न्यू सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> Easi/Easiest के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेनू भी देख पाएगा। मेनू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें। यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है वैकल्पिक रूप से, www.cdslindia.com होम पेज पर दिए गए लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई वोटिंग चल रही है
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारण करने वाले) और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले	<ul style="list-style-type: none"> शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए NSDL/CDSL के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, उसे सफल प्रमाणीकरण के बाद NSDL/CDSL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग सुविधा देख सकता है। बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और उसे रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक जो भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ रखते हैं।	<ol style="list-style-type: none"> इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और यूआरएल लॉन्च करें: https://instavote.linkintime.co.in <ul style="list-style-type: none"> ➤ 'शेयरहोल्डर' टैब के अंतर्गत "साइनअप" पर क्लिक करें और अपने निम्नलिखित विवरणों के साथ रजिस्टर करें: - ए. यूजर आईडी: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक/सदस्य कंपनी के साथ पंजीकृत इवेंट नंबर + फोलियो नंबर प्रदान करेंगे। बी. पैन: अपना 10 अंकों वाला स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें (जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)/कंपनी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, वे लागू होने पर आपको दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करेंगे। सी. डीओबी/डीओआई जन्म तिथि (डीओबी)/ निगमन की तिथि (डीओआई) दर्ज करें (जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है - DD/MM/YYYY प्रारूप में) डी. बैंक खाता संख्या: अपना बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) दर्ज करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है। <ul style="list-style-type: none"> • शेयरधारक/सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, लेकिन जिन्होंने 'सी' और 'डी' दर्ज नहीं किया है, उन्हें ऊपर 'डी' में अपना फोलियो नंबर देना होगा ➤ अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष अक्षर (@!#\$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए)। ➤ "पुष्टि करें" पर क्लिक करें (आपका पासवर्ड अब तैयार है) <ol style="list-style-type: none"> 'शेयरहोल्डर टैब के अंतर्गत लॉगिन पर क्लिक करें अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड डालें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग के लिए अधिसूचना देख पाएंगे। 'यू' आइकन चुनें। ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
	<p>6. संकल्प विवरण देखें और अपना पसंदीदा विकल्प 'पक्ष / विपक्ष' चुनकर अपना वोट डालें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'संकल्प देखें' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें)।</p> <p>7. वांछित विकल्प यानी पक्ष / विपक्ष चुनने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपना वोट पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'हां' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नहीं' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.</p>

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक यदि पासवर्ड भूल गए हैं:

- 'शेयरहोल्डर.टैब के अंतर्गत लॉगिन पर क्लिक करें फिर पासवर्ड भूल गये पर क्लिक करें
- यूजर आई डी प्रविष्ट करें, मोड चुनें और इमेज वेरिफिकेशन कोड (केपचा) प्रविष्ट कर सबमिट पर क्लिक करें.

यदि शेयर धारक के पास वैध ई मेल पता है ,तो पासवर्ड शेयर धारक के पंजीकृत मेल पते पर भेजा जायेगा. अथवा शेयरधारक पूछे जाने वाले सुरक्षा प्रश्नों के उत्तर, जन्मतिथि, /निगमन तिथि , डिविडेंड बैंक विवरण आदि देकर और पुष्टि करके भी अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकता है. (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष अक्षर (@!#\$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए).

नोट

भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले व्यक्ति के लिये इस सूचना मे दिये गये संकल्प पर वोटिंग के लिये ही विवरण इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह दृढ़ता से अनुशांसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें.

एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जो पासवर्ड भूल गए हैं:

शेयरधारक/सदस्य जो उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल जाएँ विकल्प का उपयोग करें.

□ अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डालें

- सफल पुनः निर्दिष्ट करने के पश्चात, आप आईएनएसटीए वोट के होम पेज पर ई-वोटिंग के लिए अधिसूचना देख पाएंगे. आप जिस बैंक को आप वोट करना चाहते हैं, उसका "इवेंट नंबर" चुनें/देखें.)
- वोटिंग पेज पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा तथा उसके सामने वोटिंग के लिए "पक्ष/विपक्ष" विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी पक्ष/विपक्ष चुनकर अपना वोट डालें. पक्ष/विपक्ष के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाती है) दर्ज करें. आप 'मतदान से परहेज' विकल्प भी चुन सकते हैं और रखे गए शेयरों को पक्ष/विपक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा.)

- यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'रिजॉल्यूशन देखें' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें.)
- अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प अर्थात पक्ष/विपक्ष का चयन करने के पश्चात एवं यदि आपने वोट देने का निर्णय ले लिया है, तो "सबमिट" पर क्लिक करें. तत्पश्चात एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "हाँ"पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "नहीं"पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.)
- एक बार अपना वोट निर्दिष्ट करने के पश्चात, आपको अपना वोट संशोधित करने या बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.)
- आप वोटिंग पेज पर "प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोट का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं.

❖ (संस्थागत शेयरधारकों के लिए दिशानिर्देश)

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) एवं कस्टोडियन को <https://instavote.linkintime.co.in> की एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर लॉग ऑन करना होगा तथा 'कस्टोडियन / म्यूचुअल फंड / कॉर्पोरेट निकाय' के रूप में स्वयं को पंजीकृत करना होगा.

उन्हें बोर्ड के प्रस्ताव / प्राधिकरण पत्र / पावर ऑफ अटॉर्नी आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के साथ विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि (यो) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर को पीडीएफ प्रारूप में 'कस्टोडियन / म्यूचुअल फंड / कॉर्पोरेट बॉडी' लॉगिन में अपलोड करना होगा ताकि जांचकर्ता उसका सत्यापन कर सकें.

❖ सभी शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक किसी विशेष "घटना" के लिए संकल्प पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉगिन कर सकते हैं.
- एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करना होगा.
- डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क: यदि डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, तो वे नीचे दिए गए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:)



लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-23058738 या 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

- यदि शेयरधारकों/भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्यों/संस्थागत शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो कृपया सहायता अनुभाग के अंतर्गत <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" ("एफएक्यू") और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल लिखें या हमें कॉल करें:- टेलीफोन: 022 - 49186000.
- कोई भी व्यक्ति जो ई-मेल द्वारा बैठक की सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक मंगलवार, 09 जून, 2024 तक शेयर धारण करता है, वह ऊपर बताए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- इस नोटिस की एक प्रति बैंक की वेबसाइट तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी रखी गई है।

15. रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग पर संविक्षक:

- एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, कंपनी सचिव, ठाणे को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

16. रिमोट इवोटिंग एवं बैठक में वोटिंग के परिणाम:

- संवीक्षक ई-वोटिंग अवधि के समापन से दो कार्य दिवस (2) कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर कम से कम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में (जो बैंक में कार्यरत न हों) वोटों को अनलॉक करेगा तथा पक्ष में या विपक्ष में डाले गए वोटों की संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, तुरंत अध्यक्ष को देगा
- घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, बैंक की वार्षिक आम बैठक में प्रस्ताव पारित होने के दो कार्य दिवस (2) दिवस के भीतर बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे तथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित कर दिए जाएंगे।

17. बैठक का परिणाम:

प्रस्ताव के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, वार्षिक आम बैठक की तिथि को बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में प्रस्ताव पारित माना जाएगा।

18. बैठक की रिकार्ड की गई प्रतिलिपि/कार्यवाही:

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

19. ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

(क) शेयरधारकों/सदस्यों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देशः)

शेयरधारक/सदस्य निम्न उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के हकदार हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुलेगी तथा यह सदस्यों हेतु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।

शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि वे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भाग लें क्योंकि वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से भागीदारी सीमित है तथा वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट की समाप्ति पर बंद हो जाएगी। 2% से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक/सदस्य, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, के.एम.पी., लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और लेखा परीक्षक आदि को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। सदस्य बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पहले लॉग इन करके शामिल हो सकते हैं तथा शामिल होने के लिए विंडो निर्धारित समय के 15 (पंद्रह) मिनट बाद तक खुली रखी जाएगी। भागीदारी केवल 2500 सदस्यों तक ही सीमित है।

शेयरधारकों/सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए इंस्टामीट सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें शेयरधारक/सदस्य अपना विवरण पंजीकृत करेंगे और निम्नानुसार वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे:

- इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और InstaMeet <<<https://instameet.linkintime.co.in>>> का URL लॉन्च करें "लॉगिन" पर क्लिक करें, "कंपनी" और "ईवेंट तिथि" चुनें और अपने निम्नलिखित विवरण के साथ पंजीकरण करें:
 - डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या लाभार्थी आईडी या फोलियो नंबर: बैंक में पंजीकृत अपनी 16 अंकों की डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या लाभार्थी आईडी या फोलियो नंबर दर्ज करें।
 - पैन: अपनी 10 अंकों की स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें।
 - मोबाइल नंबर।
 - ईमेल आईडी।
- "मीटिंग पर जाएं" पर क्लिक करें (अब आप इंस्टामीट के लिए पंजीकृत हैं, और आपकी उपस्थिति मीटिंग के लिए

Shareholders can contact Registrar and Transfer Agent and Bank for share/ dividend related information at following address:

<p>Link Intime Service Private Limited (Unit: Central Bank of India) Address: C 101, Embassy 247, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 Mumbai Tel no. 810 811 6767 Toll-free number : 1800 1020 878 Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in</p>	<p>Investor Relations Department Central Bank of India Address: Central Office, 09th Floor, Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai 400021 Tel no. 022 66387575 Email ID: smird@centralbank.co.in/ investors@centralbank.co.in Website: www.centralbankofindia.co.in</p>
---	--

9. Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch, where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank. The shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in.

11. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, 10th July, 2024 to Tuesday, 16th July, 2024** (both days inclusive).

12. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

13. Cut Off / Record date for voting:

1. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. **Tuesday, 9th July, 2024, shall be eligible for voting on agenda item 1, 2, 3 & 5 and:**
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. **Friday, 14th June, 2024, shall be eligible for voting on agenda item 4.**

Subject to the restrictions under Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder other than Central Government who has been registered as a shareholder on the Specified/ Cut-off Date will be entitled to vote in the Election of Shareholder Director of the Bank and shall have one vote for each share held by him/her as on that Date. However, it may be noted that Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the AGM as an observer.

14. REMOTE E-VOTING:

In compliance with Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with **Link Intime India Pvt. Limited**, Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on “e-voting facility provided by Listed Companies”, e-voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts/websites of Depositories/ DPs to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the e-voting service provider (“ESP”) thereby not only facilitating seamless authentication but also ease and convenience of participating in e-voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their DPs to access e-voting facility.

The remote e-voting period begins on Friday, 12th July, 2024 at 10.00 AM and ends on Monday, 15th July, 2024 at 05.00 PM. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting and login method for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below: :

Login for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below :-

Type of shareholders	Login Method
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • If shareholder is already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsd.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. Shareholder will have to enter your User ID and Password. • After successful authentication, Shareholder will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and shareholder will be re-directed to e-Voting service provider i.e. Link Intime website for casting of the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. • If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsd.com. Select “Register Online for IDeAS “Portal or click at https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. Shareholder will have to enter their User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, shareholder will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website i.e. https://instavote.linkintime.co.in for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Type of shareholders	Login Method
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Existing user of who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. • After successful login of Easi / Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. Link Intime. Click on Link Intime name to cast your vote. • If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi./Registration/EasiRegistration • Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the E Voting is in progress.
<p>Individual Shareholders (holding securities in demat mode) & login through their depository participants</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Shareholder can also login using the login credentials of his/her demat account through their Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. • Once login, shareholder will be able to see e-Voting option. Once he/she click on e-Voting option, he/she will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein he/she can see e-Voting feature. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
<p>Individual Shareholders holding securities in Physical mode.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the internet browser and launch the URL: https://instavote.linkintime.co.in <ul style="list-style-type: none"> ➤ Click on "Sign Up" under 'SHARE HOLDER' tab and register with your following details: - <ol style="list-style-type: none"> A. User ID: Shareholders/ members holding shares in physical form shall provide Event No + Folio Number registered with the Company. B. PAN: Enter your 10-digit Permanent Account Number (PAN) (Members who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided to you, if applicable. C. DOB/DOI: Enter the Date of Birth (DOB) / Date of Incorporation (DOI) (As recorded with your DP / Company - in DD/MM/YYYY format) D. Bank Account Number: Enter your Bank Account Number (last four digits), as recorded with your DP/Company. <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders/ members holding shares in physical form but have not recorded 'C' and 'D', shall provide their Folio number in 'D' above <ul style="list-style-type: none"> ➤ Set the password of your choice (The password should contain minimum 8 characters, at least one special Character (@!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter). ➤ Click "confirm" (Your password is now generated). 2. Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab. 3. Enter your User ID, Password and Image Verification (CAPTCHA) Code and click on 'Submit'. 4. After successful login, you will be able to see the notification for e-voting. Select 'View' icon. 5. E-voting page will appear. 6. Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link). 7. After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.

If Shareholders holding shares in Physical Form have forgotten password:

- Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab and further Click 'forgot password?'
- Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA). Click on "SUBMIT".

Incase shareholder is having valid email address, Password will be sent to the shareholder's registered e-mail address. Else, shareholder can set the password of his/her choice by providing the information about the particulars of the Security Question & Answer, PAN, DOB/ DOI, Dividend Bank Details etc. and confirm. (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character (@!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter)

NOTE:

For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL/ CDSL have forgotten the password:

Shareholders/ members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned depository/ depository participants website.

Cast your vote electronically

- After successful redirecting, you will be able to see the notification for e-voting on the home page of INSTA Vote. Select/ View "Event No" of the Bank, you choose to vote.
- On the voting page, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. Favour/Against as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'. You may also choose the option 'Abstain' and the shares held will not be counted under 'Favour/Against'.
- If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolutions' File Link.
- After selecting the appropriate option i.e. Favour/ Against as desired and you have decided to vote, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "YES", else to change

your vote, click on "NO" and accordingly modify your vote.

- Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.
- You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on "Print" option on the Voting page.

Guidelines for Institutional shareholders:

- Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to e-Voting system of LIPL: <https://instavote.linkintime.co.in> and register themselves as '**Custodian / Mutual Fund / Corporate Body**'.

They are also required to upload a scanned certified true copy of the board resolution / authority letter/power of attorney etc. together with attested specimen signature of the duly authorised representative(s) in PDF format in the '**Custodian / Mutual Fund / Corporate Body**' login for the Scrutinizer to verify the same.

General Guidelines for all shareholders:

- During the voting period, shareholders can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
- Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each of the folios/demat account.
- Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode:

In case shareholders/ members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 22-23058542-43.

- In case the shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000.